सूक्ष्म, लघु उद्यमियों को विपणन प्रोत्साहन

1. सामान्य वित्तीय लेखा नियम भाग– II के परिशिष्ट–I के अन्तर्गत सामान (स्टोर्स) का क्रय (राजस्थान के उद्योगों को अधिमान) नियम, 1995

औद्योगिक इकाईयों के सरकारी क्रय कार्यक्रम में क्रय प्रोत्साहन देने की दृष्टि से राजस्थान की औद्योगिक इकाईयों को वर्तमान में लागू भंडार क्रय (राजस्थान के उद्योगों को वरियता) नियम, 1995 के प्रावधान अनुसार निम्न सुविधाएँ देय है :–

- राज्य के सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों द्वारा निविदा में भाग लेने पर टेण्डर फार्म आधी कीमत पर दिये जाने का प्रावधान।
- जिला उद्योग केन्द्र से उद्यमिता ज्ञापन द्वितीय (ई.एम.–II) की अभिस्वीकृति प्राप्त सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों हेतु प्रदाय की जाने वाली प्रस्तावित मात्रा के मूल्य के 0.5 प्रतिशत (आधा प्रतिशत) की दर से बयाना राशि (Earnest Money) का एवं एक प्रतिशत की दर से प्रतिभूति राशि (Security Money) का संदाय किये जाने का प्रावधान।
- राज्य की सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को केन्द्रीय बिक्री कर की सीमा तक मूल्य वरियता का प्रावधान। राजस्थान के उद्योगों को नियमानुसार मूल्य वरियता दिये जाने पर भी इनकी दरें राजस्थान से बाहर की इकाइयों की तुलना में अधिक आती है। क्रय किये जाने वाली मात्रा का 80 प्रतिशत राजस्थान की औद्योगिक इकाइयों से क्रय किये जाने एवं इस 80 प्रतिशत का 60 प्रतिशत केवल राजस्थान की सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों से क्रय किये जाने एवं 60 प्रतिशत का 4 प्रतिशत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति स्वामित्वधारी इकाईयों से क्रय किये जाने का प्रावधान है। ये नियम/आदेश राजकीय विभागों के साथा–साथ राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों एवं स्वायत्तशासी निकायों पर भी लागू हैं।
- राजस्थान राज्य की समस्त औद्योगिक इकाईयों को क्रय वरियता दिये जाने का प्रावधान।
- 91 उत्पादो को इन नियमों की अनुसूची प्रथम में सम्मिलित किया गया है जिनका क्रय सूक्ष्म एवं लघु उद्यमियों से किया जाना अनिवार्य है। इस सूची में और उत्पाद सम्मिलित/विलोपित किये जाने का निर्णय के लिए आयुक्त, उद्योग की अध्यक्षता में उप समिति का गठन किया गया हैं, जिसमें भारत सरकार सूक्ष्म एवं लघु उद्यम विकास संस्थान बाईस गोदाम, जयपुर के निदेशक, इंदिरा गांधी नहर परियोजना के अध्यक्ष, मुख्य अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग, मुख्य अभिन्यता जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग तथा उप शासन सचिव, वित्त (साविलेनि) इस उप समिति के सदस्य है।

2. विभिन्न सरकारी विभागो की क्रय समितियों मे उद्योग विभाग का 'प्रतिनिधित्व :

- सरकारी विभागों द्वारा क्रय किये जाने वाला आईटम अनुसूची प्रथम में सम्मिलित होने पर विभाग का अधिकारी आयुक्त उद्योग के प्रतिनिधि के रूप में क्रय समिति की बैठक में सम्मिलित होगा। इस हेतु विभागीय अधिकारियों को विभाग आवंटित है।

3. **मेले प्रदर्शनियों का आयोजन** :–

- विपणन सुविधा के अतिरिक्त मार्केटिंग अनुभाग द्वारा विभिन्न राष्ट्रीय एवं अन्तराष्ट्रीय तथा स्थानीय मेले प्रदर्शनियों में भाग लेकर सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के उत्पादों का प्रदर्शन कराया जाता है। इससे उद्यमियों के उत्पादो को पब्लिसिटी मिलती है तथा उन्हें अपने उत्पादों का विक्रय करने में सुविधा मिलती है। मेले प्रदर्शनी कार्य हेतु विभाग की उद्यम प्रोत्साहन संस्थान को नोडल एजेंसी घोषित किया हुआ है, जो राज्य में स्थित ग्रामीण/शहरी हाटों में अपनी निर्धारित कलेण्डर के अनुसार मेले प्रदर्शनियों का आयोजना करता है।

4. राजस्थान लघु उद्योग निगम द्वारा आपूर्ति किये जाने वाले स्टील फर्नीचर्स आईटम्स की दरों का निर्धारण :–

- सामान्य वित्तीय लेखा नियम भाग– II के नियम 30 के अन्तर्गत बिना निविदा के राजसीको द्वारा आपूर्ति किये जाने वाले स्टील फर्नीचर्स, पॉलीथीन बैग, टैंट, त्रिपाल एवं कॉटेदार तार के आईटम्स की दरों का निर्धारण आयुक्त, उद्योग की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा किया जाता है।

5. कुर्सियों की रिकेनिंग दरों का निर्धारण :–

- सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम भाग प्रथम के नियम–225 (एच) एवं वित्त विभाग के निर्देशानुसार समाज कल्याण विभाग द्वारा अनुमोदित संस्थाओ से कुर्सियों की रिकेंनिग करवाने हेतु रिकेनिंग की दरे विभाग द्वारा निर्धारित की जाती है।